भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 339
02 दिसम्बर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: केरल में पीएमएफबीवाई का प्रदर्शन

339. डॉ. शशि थरूरः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान केरल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत नामांकित किसानों की कुल संख्या कितनी है और राज्य में योजना के अंतर्गत कुल बीमित क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसी अवधि के दौरान पीएमएफबीवाई के अंतर्गत केरल में किसानों को भुगतान किए गए दावों की कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है और नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लंबित दावों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने केरल में फसल हानि अनुमान पद्धतियों, प्रीमियम भुगतान समय सीमा, शिकायत निवारण तंत्र और किसान जागरूकता स्तरों का मूल्यांकन सहित पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन का कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या विलंबित दावा निपटान, सीमित बीमाकर्ता भागीदारी, छोटे एवं सीमांत किसानों के मध्य न्यून कवरेज जैसी चुनौतियों का समाधान करने हेतु कोई कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक केरल में नामांकित किसानों की कुल संख्या, बीमित क्षेत्र, भुगतान किए गए दावों और लंबित दावों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	बीमित किसान आवेदन (संख्या में)	बीमित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	भुगतान किए गए दावे	लंबित दावे
			(रुपये करोड़ में)	
2022-23	1,46,546	0.69	180.33	2.64
2023-24	1,74,102	0.73	164.81	9.53
2024-25	2,19,648	0.80	-	-
कुल	**5,40,296**	**2.22**	**345.14**	**12.17**

(ग) एवं (घ): विभाग सभी स्टेकहोल्डर्स की साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस, व्यक्तिगत बैठक और राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलनों के माध्यम से दावों के समय पर निपटान सहित योजना के कामकाज की नियमित निगरानी कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, फसल बीमा योजनाओं की समीक्षा/संशोधन/युक्तिकरण/सुधार एक सतत प्रक्रिया है और स्टेकहोल्डर्स/अध्ययनों के सुझाव/अभ्यावेदन/सिफारिशों पर समय-समय पर निर्णय लिया जाता है। प्राप्त अनुभव, विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के विचारों के आधार पर तथा बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और योजना को अधिक किसान अनुकूल बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने समय-समय पर पीएमएफबीवाई के ऑपरेशनल गाइडलाइन्स को व्यापक रूप से संशोधित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के तहत पात्र लाभ किसानों तक समय पर और पारदर्शी रूप से पहुंचें।

सरकार ने पारदर्शिता लाने और दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए केरल राज्य सहित पूरे भारत में इस योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:

- सरकार ने सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और किसानों के प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाओं की डिलीवरी, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसानों के विवरण अपलोड/प्राप्त करने और व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण सुनिश्चित करने के लिए एकल डेटा स्रोत के रूप में **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP)** विकसित किया है।
- दावा संवितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान के लिए **'डिजिक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल चालू किया गया है। इसमें सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एनसीआईपी का एकीकरण शामिल है, ताकि सभी दावों को समय पर और पारदर्शी तरीके से प्रोसेस किया जा सके।
- प्रीमियम सब्सिडी में केन्द्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों के हिस्से से अलग कर दिया गया है, ताकि किसानों को केन्द्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावे मिल सकें।
- पीएमएफबीवाई के ऑपरेशनल गाइडलाइन्स के अनुसार, यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो खरीफ 2024 से राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के माध्यम से 12% का जुर्माना स्वतः गणना करके लगाया जाएगा।
- इसी प्रकार, यदि राज्य सरकार निर्धारित समयावधि से प्रीमियम सब्सिडी देने में देरी करती है, तो उन्हें भी 12% का जुर्माना देना होगा।
- इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, सीसीई-एग्री ऐप के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (CCE) डेटा को कैप्चर करना और इसे NCIP पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को CCE के प्रचालन को देखने की अनुमति देना, NCIP के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करना आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं ताकि किसानों के दावों का समय पर निपटान हो सके।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से निष्पक्ष फसल क्षति एवं नुकसान आकलन तथा पारदर्शिता के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को भी कार्यान्वित किया गया है:

i. **यस-टेक (प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली)** से रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज अनुमान को क्रमिक रूप से अपनाना, जिससे उपज का आकलन करने के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। यह पहल खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए शुरू की गई है, जिसमें उपज अनुमान में 30% भारांश अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाएगा। सोयाबीन की फसल को खरीफ 2024 सीज़न से जोड़ा गया है।

ii. जीपी और ब्लॉक स्तर पर हाइपर-लोकल मौसम डेटा एकत्र करने के लिए मौजूदा नेटवर्क के 5 गुना तक स्वचालित मौसम स्टेशनों (AWS) और स्वचालित वर्षा-गेज (ARG) के नेटवर्क की स्थापना के लिए **विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम)**। इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के समन्वय से अंतर-संचालन और डेटा साझाकरण के साथ एक राष्ट्रीय डेटाबेस में डाला जाएगा। विंड्स न केवल यस-टेक के लिए डेटा प्रदान करता है, बल्कि प्रभावी सूखा एवं आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए भी डेटा प्रदान करता है।

****